HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 4th Bail Application No. 10222/2026
URN: CRLMB / 18947U / 2026

Mukesh Rana S/o Chitarmal, Aged About 38 Years, R/o Jhiri, Police Station, Pratapgarh, District Alwar. (At Present Confined At District Jail Karauli)

----Petitioner

Versus

The State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Girraj P Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP Mr. Manvendra Singh Choudhary, with Mr. Himanshu, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

06/07/2026

प्रार्थी/अभियुक्त मुकेश राणा की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु चतुर्थ जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पुलिस थाना टोड़ाभीम, करौली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 373/2018 अपराध अन्तर्गत धारा 279, 336, 307 भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.03.2024 को प्रत्याहरित करने के आधार पर, द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.2024 को विस्तृत आदेश कर तथा तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.10.2025 को विस्तृत आदेश पारित कर खारिज किये गये हैं।

प्रार्थी/अभियुक्त मुकेश राणा के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 04.04.2023 से अभिरक्षा में है, पी.डब्ल्यू.–1 प्रताप सिंह, पी.डब्ल्यू.–2 अरविंद व पी.डब्ल्यू.–5 लोकेश गुर्जर अपने बयान में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट अपराध की साक्ष्य नहीं देते हैं। सहअभियुक्त रामकेश का प्रकरण प्रार्थी/अभियुक्त के प्रकरण के समान है, जिसका तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 6985/2026 आदेश दिनांक 06.05.2026 के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा तथा अन्य सहअभियुक्त संतोष का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 5479/2026 आदेश दिनांक 22.04.2026 के माध्यम से इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक व परिवादी के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र SLP (Crl) No. 14461/2024 में पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है। 47 साक्षीगण में से 22 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध हो चुके हैं। इसी प्रकरण में सहअभियुक्त रामकेश के अभिरक्षा में आने पर उसके संबंध में पुनः विचारण प्रारम्भ हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

मैंने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रकरण के तथ्यों से यह बात सामने आयी है कि मुख्य अभियुक्त नीरज अपने बड़े भाई की शादी मृतका नीतू से करवाना चाहता था, नीतू और उसके

परिवारजनों द्वारा शादी करने से मना करने के कारण दिनांक 13.11.2018 को जब नीतू अपने भाई लोकेश के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी, तब सहअभियुक्त नीरज प्रार्थी/अभियुक्त मुकेश राणा के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर आया और मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी, जिससे लोकेश गुर्जर के चोटें आयी। प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SLP (Crl) No. 14461/2024 में पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 के माध्यम से अस्वीकार कर खारिज की जा चुकी है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों, प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मुकेश राणा पुत्र छीतरमल** की ओर से प्रस्तुत यह चतुर्थ जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/02